

शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय , इंदौर

कार्यालय दूरभाष नंबर:- 0731-2527383,2527679

ईमेल:-deanmgmmc@mp.gov.in

वेबसाईट:-<http://www.mgmmcindore.in/>

// विज्ञप्ति //

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की कैंटीन, एम.टी.एच हॉस्पिटल इंदौर की कैंटीन तथा नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल मैस के ठेके हेतु निविदा आंमत्रित की जाती है। उपरोक्त कार्य की अधिक जानकारी निर्धारित वेबसाईट <http://www.mgmmcindore.in/> पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन सील बंद लिफाफे में दिनाक 24.02.2020 समय 5.30 बजे तक महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के कार्यालय में जमा करावे।

दिनाक

pendend

आशिष्ठाता

०। म.गा.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
एवं
संबंद्धचिकित्सालय स्वशासी संस्था
इंदौर (मध्यप्रदेश)

नारिंग हॉस्टल मैस इन्दौर के लिये आवेदन फार्म
(2019-2020)

मूल्य रुपये 1,000/-
(प्रति हॉस्टल मैस)

20.11.2019

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान नर्सिंग कॉलेज इन्दौर की हॉस्टल मैस के ठेके की शर्तें एवं नियमावली :-

(A) पात्रता और अहंता मापदण्ड अनुभव विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता आदि।

1. ठेकेदार को हॉस्टल मैस घलाने हेतु न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्था / शैक्षणिक संस्था / सार्वजनिक / शासकीय संस्थान स्थल पर इस प्रकार के कार्य संचालन का होना चाहिए। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. न्यूनतम आवेदनकार ठेकेदार को हॉस्टल मैस घलाने हेतु आवश्यक लाइसेंस / नगर निगम द्वारा जारी गुमाश्ता हॉस्टल मैस आवंटन की तीर्थि से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. ठेकेदार व उनके कर्मचारियों का व्यवहार एवं आधरण शालीनता पूर्ण होना चाहिये जिससे कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आये।
4. जी.एस.टी. नम्बर एवं पेन नम्बर अनिवार्य रहेगा।

(B) आवेदन प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि ।

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 1,000/- निर्धारित है यह प्रपत्र इस संस्थान के भण्डार शाखा से 1,000/- नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेब साइट www.mgmmcindore.org से डाउनलोड कर उसका उपयोग किया जा सकता है ऐसी स्थिति में संबंधित को राशि रु. 1,000/- का बैंक ड्रापट / पे-ऑर्डर “मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर” के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में सुरक्षा धनराशि रुपये 2,00,000/- अक्षरी दो लॉख रुपये की राशि “मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर” के नाम, A/C of Tender purchaser से फिक्सड डिपाजिट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी।
4. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को छः माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
5. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पुर्व स्वेच्छा से हॉस्टल मैस का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जायेगी।

(C) आवेदन प्रपत्र प्रस्ताव दरें एवं न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का निर्धारण।

1. समस्त इच्छुक आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव आवेदन प्रपत्र के फार्म (अ) में ही देना होगा। आवेदन के समस्त पृष्ठों एवं संलग्नों पर हस्ताक्षर करना होगा।
2. यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ताओं के अनुदान प्रस्ताव समान है तो ऐसी स्थिति में कार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन किया जावेगा इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। जो की आपको मान्य करना होगा।
3. हॉस्टल मैस में कार्यदिवस / शैक्षणिक दिवस में हॉस्टल मैस में चाय, नास्ता, भोजन आदि हेतु उपस्थिति की अनुमानित संख्या आवेदन भरने के पूर्व आप स्वयं आकलन करे।
4. हॉस्टल मैस का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि हॉस्टल मैस संचालक को संचालन हेतु दिया जावेगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित हॉस्टल मैस की मासिक अनुदान राशि आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थानों का न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है :-

क्रमांक	हॉस्टल मैस का स्थान	न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	नर्सिंग कॉलेज इन्दौर	10,000/- (दस हजार रु.)	

आवेदनकर्ता द्वारा इच्छुक दरे न्यूनतम अनुदान प्रतिमाह के बराबर अथवा इससे अधिक अनुदान का प्रस्ताव 100 रुपये के गुणकों में दे सकेंगे।

5. अधिकतम अनुदान प्रतिमाह करने वाले रिस्पोन्सिव आवेदनकर्ता को कार्य आवंटित किया जावेगा।

6. रिस्पोन्सिव दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि वह संस्थान द्वारा जारी समस्त आहताओं आदि को पूर्ण करता है एवं उसने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि आदि जमा कर निर्धारित समय में अपना प्रस्ताव आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत किया है।

(D) आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तथा आवेदन खोलने की दिनांक समय व स्थान।

1. आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक समय बजे तक निर्धारित है, सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर के कार्यालय में निर्धारित समय तक प्राप्त होना चाहिए।
2. प्राप्त आवेदन दिनांक समय बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर के कांफ्रेन्स हॉल में खोले जावें।
3. जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(E) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रक्रिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को निम्नानुसार प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगे।

(F) प्रस्ताव निम्नानुसार सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावें

➤ लिफाफा :- A- मे निम्नानुसार रखा जावें।

- धरोहर राशि रु. 2,00,000/- फिक्स डिपाजिट ।
- आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि रु. 1,000/-नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (यदि वेब साईट से डॉउन लोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।

➤ लिफाफा :- B - मे निम्नानुसार रखा जावें।

- P.F. का लायसेंस।
- E.P.F. का लायसेंस।
- फर्म के 5 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
- किन्हीं दो संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
- I.S.O 9001:2015 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
- I.S.O 22000:2005 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
- C.A द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ऑवर करन्ट फाईनेन्शल ईअर का हो (जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो)।
- शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में कम से कम 2 स्थानों पर कार्यरत हो।
- चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
- आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराइज्ड) ।
- टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
- नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र / लाईसेंस।
- जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।
- फोटोयुक्त पहचान पत्र – आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं।

➤ लिफाफा :- C - मे निम्नानुसार रखा जावें।

- वित्तीय प्रस्ताव जो कि आवेदन प्रपत्र के निर्धारित प्रपत्र "C" में पूर्ण स्पष्ट रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित हों, काट छाट स्वीकार नहीं होगी।

➤ बडे लिफाफे में लिफाफा A,B,C निम्नानुसार रखें जावें।

- उपरोक्त समस्त सील बंद लिफाफे एक बडे लिफाफे में बंद करते हुए सील किये जावें।
- प्रत्येक लिफाफे पर हॉस्टल मैस हेतु प्रस्ताव एवं लिफाफा क्रमांक भी अंकित होना चाहिए।
- समस्त प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्डौर के नाम से जमा किया जाना चाहिए।
- लिफाफे पर आवेदनकर्ता का नाम, पूर्ण पता एवं मोबाइल नं. अंकित किया जावें।

४८

अन्य आवश्यक शर्तें ।

1. नर्सिंग हॉस्टल मैस इन्डौर का ठेका आपके अधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये है।
2. तीन वर्ष उपरान्त दोनों पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तों पर या संशोधित शर्तों पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे अधिकतम पाँच वर्ष की समयावृद्धि की जा सकेगी।
3. प्रति वर्ष अनुदान राशि मे नियत 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी तथा पानी व बिजली बिल पृथक से देय होगा।
4. हॉस्टल मैस मे विकल्प होने वाली सामग्री की दरे प्रतिवर्ष अधिकतम 10% की दर से दोनों पक्षों की सहमति पर ही बढ़ाई जा सकती है।
5. हॉस्टल मैस का समय प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। सुबह 07:00 से 11:00 तक नाश्ता, लंच दोपहर 01:00 से दोहपर 03:00 तक, रात का खाना रात्रि 08:00 से रात्रि 11:00 तक देना होगा एवं चाय, काफी एवं स्नेक्स 24 घण्टे उपलब्ध कराना होगें।
6. ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निररत हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।
7. ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। इसका सम्पूर्ण व्यय सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा।
8. ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को हॉस्टल मैस भवन का चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान हॉस्टल मैस से हटाकर हॉस्टल मैस का चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति को अथवा अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर अथवा “मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य शासकिय नर्सिंग महाविद्यालय इन्डौर” द्वारा आदेशित व्यक्ति को सौंपना होगा। निश्चित अवधि के बाद हॉस्टल मैस अथवा उसके किसी भी भाग का आधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/-रु. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।
9. हॉस्टल मैस मे ईंधन के लिये ठेकेदार द्वारा व्यवसायिक LPG गैस का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है। डोमेस्टिक LPG गैस कर उपयोग प्रतिबंधित है, उपयोग करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी हॉस्टल मैस संचालक की होगी।
10. हॉस्टल मैस मे ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखना होगें। उनकी पोशाक एकसमान तथा साफ-सुथरी होना अनिवार्य है। हॉस्टल मैस मे कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाखून और बालों की सफाई अनिवार्य है। कर्मचारी के रूप में रोगी एवं बीमार व्यक्ति तथा बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे। बाल मजदुर रखने पर उसकी समस्त जवाबदारी हॉस्टल मैस संचालक की होगी।
11. शर्तों के साथ निम्नांकित वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगा:
 - (अ) आवेदनकर्ता शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोषित न किया गया हो।
 - (ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन प्रपत्र एवं आवेदन की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर नाम, पते एवं फोन नं.के साथ होना आवश्यक है) अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय /प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज/हॉस्टल मैस समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किसी भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर 1000 रु. का दण्ड देना होगा।
12. तीन निरीक्षणों में यदि हॉस्टल मैस मे किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से 3 माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
13. हॉस्टल मैस भवन तथा अन्य स्ट्रेक्चर मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर/प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा तथा हॉस्टल मैस भवन को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार की जमा सुरक्षानिधि से की जावेगी।
14. हॉस्टल मैस मे शुद्ध पानी (R.O. System) की पर्याप्त व्यवस्था ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन एवं टावेल रखना होगा। पीने के पानी का एवं हाथ धोने का स्थान अलग-अलग होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था कैटीन संचालक को स्वयं को करनी होगी।
15. हॉस्टल मैस मे बिडी, सिगरेट, तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर हॉस्टल मैस मे उपयोग करने के लिये अनुमति नहीं देगा। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पाये जाने पर 1,000 रु. का आर्थिक दण्ड देना होगा। मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होगे।

16. हॉस्टल मैस समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बंद होने की अवस्था में यथा संभव 3 दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय / प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज को लिखित रूप में देनी होगी ।
17. हॉस्टल मैस का छः माह का अग्रिम अनुदान राशि कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर लेखा शाखा नर्सिंग कॉलेज में जमा करना होगा । तदउपरांत प्रतिमाह की प्रथम तरीख को/अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा करना होगा । अनुदान राशि विलम्ब होने पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से शुल्क जमा करना होगा ।
18. हॉस्टल मैस संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVCL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा । जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVCL की व्यवसायिक दर से देय होगा । MPPKVCL द्वारा दरें वृद्धि करने पर तदनुसार वृद्धि की जावेगी । बिलों का नियमित भुगतान न करने पर आपके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि से इसका कटौत्रा किया जावेगा ।
19. हॉस्टल मैस में एक सुझाव/शिकायत पेटी लगाई जावेगी जिसे हॉस्टल मैस समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिमाह खोला जावेगा एवं अधिष्ठाता/प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी ।
20. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर/प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज को रहेगा ।
21. हॉस्टल मैस में उपयोग कि जाने वाली कच्ची सामग्री एवं बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसी भी समय शासन के सक्षम अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/संस्था अधिष्ठाता द्वारा इस हेतु बनाई गई समिति/प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है ।
22. ठेकेदार को हॉस्टल मैस के उपयोग के लिये उत्तम किरम के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की काकरी आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगी । प्लास्टिक बर्तन/डिस्पोजेवल का उपयोग वर्जित रहेगा । चाय एवं काफी के लिए सफेद रंग के क्राकरी के कप, प्लेट ही उपयोग किये जावे ।
23. हॉस्टल मैस के फर्श, फर्नीचर आदि की हमेशा नियमित सफाई रखनी होगी । खाद्य सामग्री को जालीदार अथवा कांच की अलमारी में बन्द कर रखना होगा । हॉस्टल मैस के आसपास के ऐरिया में भी स्वयं के खर्च पर सफाई रखना होगी । हॉस्टल मैस में कवर युक्त डस्टबीन ही रखे जावे ।
24. हॉस्टल मैस में प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे । इस संबंध में अधिष्ठाता/प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज/संबंधित संस्था के संबंधित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा ।
25. आदेश दिये जाने पर खाद्य सामग्री व चाय आदि प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज महाविद्यालय के कार्यालय एवं विभागों में स्वयं ठेकेदार को भेजने की व्यवस्था करनी होगी । जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
26. खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा । रिफाइन्ड तेल का उपयोग करना होगा । ताजी सब्जीयों, दूध, दही, आदि का ही उपयोग करना होगा । एक दिन पुर्व की बनी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा । हॉस्टल मैस में मासाहारी खाद्य पदार्थ (मांस, मछली, इत्यादि) का बनाना एवं खाना (किसी भी रूप में) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
27. संस्थान में समय-समय पर होने वाले बैठकों कार्यशालाओं, अन्य आयोजनों पर आदेशित सामग्री एवं उनसे संबंधित समस्त निर्देशित व्यवस्थाएं आपको करना होगी । जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
28. ठेकेदार को हॉस्टल मैस स्वयं चलाना होगा । वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा । ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
29. संस्थान द्वारा जारी शर्तों के अतिरिक्त, ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
30. हॉस्टल मैस में किसी भी प्रकार का उपद्रव, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा । हॉस्टल मैस में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकदार का ही कर्तव्य होगा ।
31. हॉस्टल मैस में दूध व अन्य खाद्य सामग्री को रखने के लिये फ्रिज एवं चीलर आवश्यक रूप से रखना होगा ।
32. हॉस्टल मैस में प्रयोग की जाने वाली चटनीयों व सलाद प्रतिदिन ताजा होना चाहिए तथा ट्रैमेटो सॉस ब्रांडेड होना चाहिए ।
33. हॉस्टल मैस में ठंडे खाने को गर्म करने हेतु एक माइक्रोवेव ओवन की व्यवस्था करनी होगी ।
34. हॉस्टल मैस तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी । इसका समस्त व्यय उसे ही करना होगा । नगर-निगम व शासन की साफ-सफाई

हेतु समस्त नियमनावाली का पालन करना होगा, अन्यथा उक्त शासन के उपक्रम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का जवाबदार हॉस्टल मैस संचालक स्वयं रहेगा ।

35. सामग्री के टेबल अथवा संस्थान परिसर में आदेशित स्थान पर सामग्री व्यवस्थित रूप से पहचाने एवं उसके सर्विस करने तथा उपयोग उपरान्त साफ—सफाई करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
36. हॉस्टल मैस में जो कर्मचारी रखें जावेगें उनकी सूची, फोटो, पते एवं फोन न. आदि अधिष्ठाता कार्यालय/प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज के कार्यालय में समय—समय पर देना होगेगा, बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा ।
37. ठेकेदार एवं हॉस्टल मैस में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जवाबदार होगा ।
38. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को उपरोक्त शर्तों में कभी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है ।
39. हॉस्टल मैस ठेके अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा ।
40. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा ।
41. संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि, जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी ।
42. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा ।
43. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
44. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। कांट-छांट नहीं होना चाहिए । अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत की जावेगी ।

Sindal

अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने महात्मा गौड़ी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा नर्सिंग कॉलेज की हॉस्टल मैस ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली हैं, जो मुझे मान्य हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :—

नाम एवं पूर्ण पता :—

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक :—

४१

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र—अ

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. संस्था का नाम जिसमे हॉस्टल मैस हेतु अवेदन किया गया
2. राशि रू
3. एफ.डी.आर (3 वर्ष) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक).....
4. जारी होने का दिनांक
5. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम / पता
-
6. भुगतान का स्थान.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :-
नाम एवं पूर्ण पता :-

संस्था का नाम.....
संस्था की सील.....
दिनांक:-.....

४१

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र—ब

संस्था का नाम जिसमे हॉस्टल मैस हेतु अवेदन किया गया

➤ लिफाफा:- B - मे निम्नानुसार रखा जावे।

1. P.F. का लायसेंस।
2. E.P.F. का लायसेंस।
3. फर्म के 5 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
4. किन्ही दो संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
5. I.S.O 9001:2015 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
6. I.S.O 22000:2005 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
7. C.A . द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ऑवर (वित्तीय स्थिति) हो (जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो)।
8. शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में कम से कम 2 स्थानों पर कार्यरत हो।
9. चरित्र प्रमाण—पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
10. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
11. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
12. निगम / सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण—पत्र / लाईसेन्स / गुमारता की प्रतिलिपि।
13. जी.एस.टी. नम्बर एवं पेन नम्बर दोनो अनिवार्य हैं।
14. फोटोयुक्त पहचान पत्रः— आधार कार्ड, या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं।

निवाकर्ता के हस्ताक्षर :—

नाम एवं पूर्ण पता :—

.....
संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:—.....